

तारीख  
हुक्म

25.2.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। उपस्थित पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 22.2.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27.5.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। उपस्थित पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 25.5.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8-5-20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। उपस्थित पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 29.5.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.5.20

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। उपस्थित पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 14.8.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14-8-20 पत्रावली पेश हुई वकील प्राथिया उपस्थित अप्राथमिक  
के सम्मम बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे  
शाह पठ किये गये, तटसीलदार माण्डल से मांडल  
रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शाह पठ की गई अप्राथमिक  
को कितनी मतिवा आवाजे दिलार्थी जाने उपरान्त  
भी उपस्थित नहीं इसके विकल्प एक तरफा कार्यवाही  
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्राथिया  
का प्राथना पर स्वीकार किया जाकर निर्णय हुक्म  
से लिखा जाकर शामिल फावली दिया गया।  
फावली फंसल शुमार की जाकर भन्वर से सम्म हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

जसीन अधिकारी-मंहीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दना संख्या - 163/19 प्रा.पञ

श्रीमती प्रेमलता व० श्री श्यामला लसैम निवासी-वागौर तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री मंवर व० श्री मांगू माली निवासी-वागौर तहसील-माण्डल [वागौर]  
(पृष्ठांकित प्रा.पञ संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वागौर I पटवार हल्का वागौर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7767/1007 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हिले होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.11.19 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को रखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वागौर I पटवार हल्का वागौर I तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 7767/1007 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा — बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागौर 450/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा